अनुदान संख्या 17 – कंपनी कार्य मंत्रालय
GRANT No. 17–MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	54,50,00	45,86,25	–8,63,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5,59,20
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted–	3,00,00	42,73	–2,57,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,55,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1996.00	1413.80	1228.48	–185.32
पु.	R.	–582.20			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	3454.00	3477.00	3357.77	–119.23
पु.	R.	23.00			

(I) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कंपनी कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत 767.52 लाख रु. की बचत (1996.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा गैर

(I) Under Major Head "3451"- "Secretariat – Ministry of Company Affairs" – saving of Rs.767.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1996.00 lakhs) was due to low ceiling fixed

वेतन व्यय के लिए अधिकतम सीमा कम निर्धारित किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं-

(का) "गंभीर छल-कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ)" - 133.31 लाख रु. की बचत (328.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के आवास के नवीकरण पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी)" - 182.30 लाख रु. की बचत (283.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपरिहार्य और अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से लम्बे कानूनी हस्तक्षेप के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3475" - "संयुक्त स्टाक कंपनियों का विनियमन - कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 179.21 लाख रु. का अधिक व्यय (1532.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे जाने और कार्यालय आवास के नवीकरण के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

by Ministry of Finance for non-salary expenditure.

(II) Under Major Head "3475" – "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Serious Fraud Investigation Office (SFIO)" – saving of Rs.133.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.328.00 lakhs) was due to less expenditure on renovation of accommodation for the Head Office and Regional Office, Mumbai.

(B) "National Company Law Tribunal (NCLT)"– saving of Rs.182.30 lakhs (against the sanctioned the provision of Rs.283.00 lakhs) was due to prolonged judicial intervention owing to unavoidable and unforeseen circumstances.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3475"- "Regulation of Joint Stock Companies - Registrar of Companies under Companies Act" - excess of Rs.179.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1532.90 lakhs) was due to filling up of vacant posts and renovation of office accommodation.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	300.00	45.00	42.73	–2.27
पु.	R.	–255.00			

(I) ''अन्य व्यय - भूमि/भवन की खरीद/कार्यालय परिसरों/कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण'' के अंतर्गत 257.27 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनी रजिस्ट्रार के विभिन्न कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद के मूर्त रूप न ले पाने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure – Purchase of land/building/construction of Office Premises/ residential accommodation for staff" – saving of Rs.257.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-materialisation of purchase of land for different offices of Registrar of Companies.